



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2168]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 8, 2015/आश्विन 16, 1937

No. 2168]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2015/ASVINA 16, 1937

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2015

का.आ. 2743(अ).— यतः दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का अधोलिखित क्षेत्र के संबंध में जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2014 की सार्वजनिक सूचना का.आ. सं. 1995 (अ) के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं किये गये थे; और
3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

जोन-‘एफ’ में मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, ओखला के दोनों ओर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय परिसर की बाहरी परिधि पर अवस्थित 25.23 हेक्टेयर क्षेत्र की 21 पॉकेट के भूमि उपयोग को ‘आवासीय’, ‘मनोरंजनात्मक’ एवं ‘उपयोगिता’ से ‘सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं’ (शैक्षणिक एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय केन्द्र, कॉलेज) पी.एस-1’ में निम्नलिखित सीमा विवरण से परिवर्तित किया जाता है:-

अवस्थिति	पॉकेट	क्षेत्रफल(वर्ग मी.)	दि-यो.सु.2021 / क्षे.वि.यो. के अनुसार भूमि उपयोग	भूमि उपयोग जिस उपयोग में परिवर्तित किया जाता है।	सीमाएं
जोन एफ : जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ओखला	1(क)	5185.26	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्ध- सार्वजनिक सुविधाएं (शैक्षणिक एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय/ विश्वविद्यालय केन्द्र, कॉलेज) पी.एस.-1	उत्तर: जाकिर नगर, महबूब नगर, जोगबाई, गफ्फूर नगर, बाटला हाउस पूर्व : ओखला गाँव , जौहर बाग, जामिया नगर, जामिया एन्क्लेव पश्चिम: डॉन वॉस्को, होली फैमिली अस्पताल, वॉटर वर्क्स (दिल्ली जल बोर्ड) दक्षिण : मुजीब बाग, नूर नगर, नूर नगर विस्तार, ओखला विहार
	1(ख)	4289.15	उपयोगिता (जल शोधन संयंत्र)		
	2	28836.27	आवासीय		
	3	1707.07	आवासीय		
	4(क)	4828.55	आवासीय		
	4(ख)	7513.35	मनोरंजनात्मक (नगर /जिला पार्क/पार्क सामुदायिक पार्क)		
	5	2609.90	आवासीय		
	6	381.34	आवासीय		
	7(क)	8754.36	आवासीय		
	7(ख)	48944.40	मनोरंजनात्मक (नगर /जिला पार्क/पार्क सामुदायिक पार्क)		
	7(ग)	12586.74	उपयोगिता सीवरेज) (शोधन संयंत्र		
	8(क)	167.75	आवासीय		
	8(ख)	96.85	मनोरंजनात्मक (नगर /जिला पार्क/पार्क सामुदायिक पार्क)		
	9(क)	3484.04	आवासीय		
	9(ख)	209.01	मनोरंजनात्मक (नगर /जिला पार्क/पार्क सामुदायिक पार्क)		
10	961.70	आवासीय			
11	58.11	आवासीय			
12	23727.00	मनोरंजनात्मक (नगर /जिला पार्क/पार्क मुदायिक पार्कसा)			
13(क)	6850.56	मनोरंजनात्मक (नगर /जिला पार्क/पार्क सामुदायिक पार्क)			
13(ख)	73345.88	आवासीय			

	13(ग)	17796.06	मनोरंजनात्मक (नगर /जिला पार्क/पार्क सामुदायिक पार्क)		
	कुल	252333.35 बर्ग मी. (25.23 हेक्ट.)			

[फा. सं. के-13011 / 25 / 2014-डीडी-1]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2015

S.O. 2743(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 1995(E) dated 5th August, 2014 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of said notice.

- No objections/suggestions were received with regard to the proposed modifications, and
- Whereas, the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.
- Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of 21 pockets of an area measuring 25.23 Ha. located on the external periphery of the Jamia Millia Islamia University campus on either side of Maulana Mohammad Ali Jauhar Marg, Okhla in Zone 'F' from 'Residential', 'Recreational' & 'Utility' to 'Public & Semi-Public Facilities (Educational & Research University/University Centre, College) PS-1' is changed with the following boundary description:—

Location	Pocket	Area (in sqm)	Land use as per MPD-2021/ZDP	Land Use Changed to	Boundaries
Zone F: Jamia Millia Islamia University, Okhla	1(a)	5185.26	Residential	Public & Semi-Public Facilities (Educational & Research University/ University Centre, College) PS-1	North: Zakir Nagar, Mehboob Nagar, Joga Bai, Gafoor Nagar, Batla House East: Okhla Village, Jauhar Bagh, Jamia Nagar, Jamia Enclave West: Don Bosco, Holy Family Hospital,
	1(b)	4289.15	Utility (Water Treatment Plant)		
	2	28836.27	Residential		
	3	1707.07	Residential		
	4(a)	4828.55	Residential		
	4(b)	7513.35	Recreational (City Park/District Park/Community Park)		
	5	2609.90	Residential		
	6	381.34	Residential		
	7(a)	8754.36	Residential		

	7(b)	48944.40	Recreational (City Park/District Park/Community Park)		Water Works (DJB)
	7(c)	12586.74	Utility (Sewerage Treatment Plant)		
	8(a)	167.75	Residential		
	8(b)	96.85	Recreational (City Park/District Park/Community Park)		South: Mujeeb Bagh, Noor Nagar, Noor Nagar Extn., Okhla Vihar
	9(a)	3484.04	Residential		
	9(b)	209.01	Recreational (City Park/District Park/Community Park)		
	10	961.70	Residential		
	11	58.11	Residential		
	12	23727.00	Recreational (City Park/District Park/Community Park)		
	13(a)	6850.56	Recreational (City Park/District Park/Community Park)		
	13(b)	73345.88	Residential		
	13(c)	17796.06	Recreational (City Park/District Park/Community Park)		
	TOTAL	252333.35 sqm (25.23 Ha.)			

[F.No. K-13011/25/2014-DD-I]
SUNIL KUMAR, Under Secy.